



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092021-229838
CG-DL-E-21092021-229838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943

No. 528]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 642(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेड अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चार्टर्ड अकाउंटेड (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1591(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 1, क्रम संख्यांक 2 और क्रम संख्यांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“1. श्री आर. एस. वर्मा,

- पीठासीन अधिकारी;

अपर सचिव,

विधि कार्य विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2. श्री मनमोहन जुनेजा,

- सदस्य;

विशेष कार्य अधिकारी,

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (मुख्यालय),

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3. श्री संजय शौरी,

- सदस्य ।”।

निदेशक (विधिक और अभियोजन),

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 3/2/2019- पीआई]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1591(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

G.S.R. 642(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* notification number S.O. 1591(E), dated the 12th April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th April, 2019, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers 1, 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| “1. | Sh. R.S. Verma,
Additional Secretary,
Department of Legal Affairs,
Ministry of Law and Justice,
Shastri Bhawan, New Delhi | -- Presiding Officer; |
| 2. | Sh. Manmohan Juneja,
Officer on Special Duty,
Ministry of Corporate Affairs (Hqrs.),
Shastri Bhawan, New Delhi | -- Member; |
| 3. | Sh. Sanjay Shorey,
Director (Legal & Prosecution),
Ministry of Corporate Affairs,
Shastri Bhawan, New Delhi | -- Member.”. |

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1591(E), dated the 12th April, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 643 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 170 (अ), तारीख 1 मार्च, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (i) और क्रम संख्यांक (ii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(i) श्री आर. एस. वर्मा, - पीठासीन अधिकारी;

अपर सचिव,

विधि कार्य विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(ii) सुश्री नन्दिता मिश्रा, - सदस्य ।”।

आर्थिक सलाहकार,

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,

लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 3/2/2019- पीआई]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 170(अ), तारीख 1 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

G.S.R. 643 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and in pursuance of rule 3 of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* notification number G.S.R. 170(E), dated the 1st March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st March, 2019, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (i) and (ii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

“(i) Sh. R.S. Verma, —Presiding Officer;

Additional Secretary,

Department of Legal Affairs,

Ministry of Law and Justice,

Shastri Bhawan, New Delhi

(ii) Ms. Nandita Mishra, —Member;”.

Economic Advisor,

Ministry of Corporate Affairs,

Loknayak Bhawan,

Khan Market, New Delhi

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 170(E), dated the 1st March, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 644 (अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 787 (अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (i) और क्रम संख्यांक (ii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(i) श्री आर. एस. वर्मा, - पीठासीन अधिकारी;

अपर सचिव,

विधि कार्य विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(ii) सुश्री मिथलेश, - सदस्या।”

सलाहकार (लागत),

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,

पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019- पीआई]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 787(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 857(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 498(अ), तारीख 11 मई, 2016, सा.का.नि. सं. 922(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2016, सा.का.नि. सं. 1074(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2016, सा.का.नि. सं. 391(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2017 और सा.का.नि. सं. 51(अ), तारीख 28 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* notification number G.S.R. 787(E), dated the 15th October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th October, 2015, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (i) and (ii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- “(i) Sh. R.S. Verma, —Presiding Officer;
Additional Secretary,
Department of Legal Affairs,
Ministry of Law and Justice,
Shastri Bhawan, New Delhi.
- (ii) Ms. Mithlesh, —Member;”.
Adviser (Cost),
Ministry of Corporate Affairs,
Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. No. 787(E), dated the 15th October, 2015 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 857(E), dated the 16th November, 2015, G.S.R. No. 498(E), dated the 11th May, 2016, G.S.R. No. 922(E), dated the 28th September, 2016, G.S.R. No. 1074(E), dated the 17th November, 2016, G.S.R. No. 391(E), dated the 19th April, 2017 and G.S.R. No. 51(E), dated the 28th January, 2019.